Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding religious conversions of Scheduled Tribes.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, धन्यवाद। संविधान में दो आर्टिकल्स हैं – 341 और 342. अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत चर्चा चल रही है। केन्द्र सरकार ने यह कहा है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं, खासकर मुसलमान और क्रिश्चियन धर्म में, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। केवल जैन, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 342 भी वही है और उसी के आधार पर हम शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन देते हैं या सुविधा देते हैं, लेकिन वे लोग पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा के नाम पर या स्वास्थ्य के नाम पर उनको बरगलाकर धर्मांतरित कर रहे हैं। यह झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पर हो रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 341 और 342 एक ही है। सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर धर्मांतरित होने वाले शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं देंगे, उसी तरह से यह शेड्यूल ट्राइब में भी लागू होना चाहिए कि जो धर्मांतरित होते हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए।